न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)–द्वितीय, हापुड़
उपस्थितः असगर अली–प्रथम, (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (यू०पी० 2121)
मूलवाद संख्या–105/2024
कम्प्यूटर वाद संख्या–175/2024

UPHP050003242024

1. **सौरभ गुप्ता पुत्र श्री प्रवीन कुमार निवासी गांधी बाजार पिलखुवा, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़।**
2. **नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद निवासी के.एल. 48 कविनगर गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद।**

.....वादीगण।

बनाम

1. **रामभूल सिंह पुत्र छुट्टन सिंह निवासी ग्राम सिखैड़ा, तहसील धौलाना, जिला हापुड़।**
2. **नाजर अली पुत्र हाजी अजीमुद्दीन निवासी 311/22 जाकिर नगर ओखला, नई दिल्ली।**
3. **पूनम कुमार पुत्र चुन्नीलाल।**
4. **पवन कुमार पुत्र देवीदयाल।** **.....प्रतिवादीगण।**

वादीगण की ओर से .....श्री **जावेद आलम अल्वी एडवोकेट**
प्रतिवादीगण की **ओर से.....श्री चौधरी नवनीत सहलोत एडवोकेट**

20.05.2026

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। उक्त मूलवाद में दिनांक **02.07.2024** यानी **लगभग 22 माह** से अधिक समय से वादीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग लम्बित है। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग पर बहस सुनाने हेतु अनेकों एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, **परन्तु** विगत काफी लम्बे समय से प्रतिवादीगण द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग पर अपनी बहस नहीं सुनायी गयी और वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 6ग के निस्तारण हेतु लगातार बल दिया जाता रहा। दिनांक **12.05.2026** को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उक्त तिथि पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 6ग पर अपनी बहस नहीं सुनायी गयी, **बल्कि** स्थगन प्रार्थनापत्र 56ग प्रस्तुत कर दिया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग पर बहस हेतु प्रतिवादी को दिनांक 19.05.2026 तक का अवसर प्रदान किया गया कि प्रतिवादी दिनांक 19.05.2026 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रार्थनापत्र 6ग पर अपनी बहस सुना सकते हैं, **परन्तु** इसके बावजूद भी दिनांक 12.05.2026 से दिनांक 19.05.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रतिवादी की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग पर अपनी बहस नहीं सुनायी गयी, **बल्कि** दिनांक 19.05.2026 को फिर से **स्थगन प्रार्थनापत्र 57ग** मय शपथपत्र 58ग के साथ माननीय न्यायालय जिला जज, हापुड़ के समक्ष योजित सिविल रिवीजन सं. 28/2026 की छायाप्रति 58ग/1 ता 58ग/12 दाखिल कर दी गयी। उक्त सिविल रिवीजन में माननीय न्यायालय जिला जज, हापुड़ द्वारा इस मूलवाद की किसी भी कार्यवाही पर रोक नहीं लगायी गयी है। उक्त स्थगन प्रार्थनापत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र की सुनवाई स्थगित करने हेतु आधार पर्याप्त नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र 57ग निरस्त कर दिया गया और आदेश हेतु आज की तिथि नियत कर दी गयी। अतः आदेश हेतु उक्त नियत तिथि पर ही पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर विधिनुसार गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

निस्तारण अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग

वादीगण की ओर से **अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग** मय **शपथपत्र 7ग** प्रस्तुत करके सशपथ कथन किया गया कि वादीगण भूमि खसरा संख्या 440 कुल रकबा 0.4930 हे०, स्थित ग्राम हावल, तहसील धौलाना, जिला हापुड में से रकबा 0.3165 हे० के मालिक व काबिज हैं, जिसे आगे वादपत्र में विवादित भूमि अभिकथित किया गया है। उक्त खसरा संख्या 440 रकबा 0.4930 हे० स्थित ग्राम हावल, तहसील धौलाना, जिला हापुड की पूर्व मालिक काबिज संक्रमणीय भूमिधर श्रीमती वैशाली देवी पत्नी

अवधेश कुमार निवासी चिरंजीव विहार, गाजियाबाद थी, जिसने दिनांक 22–9–2010 को एक विक्रयपत्र के माध्यम से उक्त भूमि में से रकबा 0.2465 हे० भूमि ब्रजमोहन गोयल, दिनेश सक्सैना, नरेन्द्र कुमार (वादी संख्या 2), अशोक कुमार सिंघल तथा सौरभ गुप्ता (वादी सं0–1) को विक्रय की तथा दिनांक 25.09.2010 को दूसरे विक्रयपत्र से रकबा 0.2465 हे0 भूमि जय श्री कृष्णा ट्रस्ट स्थित के.डी.–21 कविनगर, गाजियाबाद द्वारा नरेन्द्र कुमार (वादी सं0–2), अशोक कुमार सिंघल तथा सौरभ गुप्ता (वादी सं0–1) को विक्रय किया। गैर फरीक मुकदमा श्री ब्रजमोहन गोयल ने अपना हिस्सा (1/10 भाग अर्थात 0.0493 हे०. भूमि) को अपने सहमालिक–सहकाबिज दिनेश चन्द सक्सैना, नरेन्द्र कुमार, अशोक कुमार सिंघल व सौरभ गुप्ता को दिनांक 19–1–2012 को विक्रय कर दिया। इसके पश्चात श्री दिनेश चन्द सक्सैना व अशोक सिंघल ने अपना हिस्सा (रकबा 0.12325 हे० भूमि), पूनम कुमार (प्रतिवादी सं०–3) व पवन कुमार (प्रतिवादी सं0–4) को दिनांक 22–6–2021 को विक्रय कर दिया तथा उसी दिनांक 22–6–2021 को सौरभ गुप्ता (वादी सख्या 1) व नरेन्द्र कुमार (वादी सं0–2) ने अपने हिस्से की भूमि रकबा 0.12325 है0 में से रकबा 0.05325 हे० भूमि पूनम कुमार व पवन कुमार को विक्रय कर दी। इस प्रकार खसरा संख्या 440 स्थित ग्राम हावल में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का कुल रकबा 0.12325+ 0.05325 कुल 0.1765 हे० अर्थात 1765 वर्गमीटर भूमि के मालिक काबिज हुए। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 औपचारिक पक्षकार हैं, जिनके विरुद्ध वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं। वर्ष 2010 में जब ट्रस्ट का गठन हुआ, उस समय ट्रस्ट के पांच ट्रस्टी क्रमशः ब्रजमोहन गोयल, दिनेश चन्द सक्सेना, नरेन्द्र कुमार, अशोक कुमार सिंघल तथा सौरभ गुप्ता थे। सप्लीमेन्ट्री ट्रस्ट डीड दिनांक 18–6–2012 के अनुसार श्री ब्रजमोहन गोयल ने ट्रस्ट से रिजाइन (त्याग) कर दिया तथा सप्लीमेन्ट्री ट्रस्ट डीड दिनांक 22–6–2021 के अनुसार श्री दिनेश चन्द सक्सैना व अशोक कुमार सिंघल ने ट्रस्ट से रिजाईन (त्याग) कर दिया है। इस प्रकार जय श्री कृष्णा ट्रस्ट के.डी. 21 कविनगर, गाजियाबाद के वर्तमान में दो ट्रस्टी सौरभ गुप्ता व नरेन्द्र कुमार (वादीगण) हैं। इस प्रकार उक्त खसरा संख्या 440 स्थित ग्राम हावल में 3165 वर्गमीटर भूमि के वादीगण मालिक काबिज हैं। वादीगण की उक्त विवादित भूमि कस्बा पिलखुवा से तहसील धौलाना को जाने वाली रोड पर स्थित है। वादीगण की उक्त विवादित सम्पत्ति पिलखुवा धौलाना रोड पर दोनों तरफ स्थित है। वादीगण की विवादित भूमि से सटी अगली भूमि (धौलाना की ओर) पर पेट्रोल पम्प लगा हुआ है। वादीगण ने बैनामा के बाद से अपनी भूमि पर बाउन्ड्रीवाल कराकर पेट्रोल पम्प की तरफ से दो कमरे बना लिये थे, जो आज भी यथावत बने हुए हैं तथा बाउन्ड्री वॉल हुई है। वादीगण की विवादित सम्पत्ति (खसरा संख्या 440 की रकबा 3165 वर्गमीटर) तथा अन्य भूमियों पर एंजिल इन्टरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग प्ले ग्राउण्ड आदि बना हुआ है, जिसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वादीगण की भूमि खसरा संख्या 440 स्थित ग्राम हावल तहसील धौलाना जिला हापुड, उपजिलाधिकारी धौलाना के आदेश दिनांकित 14–8–2012 के द्वारा अकृषक घोषित की जा चुकी है, इसलिये उक्त सम्पत्ति पर उ०प्र० राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 खसरा संख्या 443 स्थित ग्राम हावल, तहसील धौलाना, जिला हापुड के संक्रमणीय भूमिधर हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा संख्या 443 वादीगण की भूमि खसरा संख्या 440 के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त खसरा संख्या 443 की भूमि लगभग एक या डेढ वर्ष पूर्व बिना रास्ते की भूमि जानते एवं समझते हुए क्रय की गई थी, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जबरदस्ती लाठी डण्डों एवं मुठमर्दी के आधार पर वादीगण की भूमि खसरा संख्या 440 पर अपना नाजायज कब्जा करके अपनी भूमि खसरा संख्या 443 से सामने मैन रोड तक रास्ता कायम करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 29–4–2024 को एक शिकायती प्रार्थनापत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध उपजिलाधिकारी धौलाना, जिला हापुड को दिया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके पश्चात वादीगण ने दिनांक 8–6–2024 को एक शिकायती प्रार्थनापत्र माननीय मुख्यमन्त्री, उ०प्र० लखनऊ को भेजा। दिनांक 10–6–2024 को प्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र बिटटू एवं गोविन्द एकराय होकर वादीगण के स्कूल एंजिल इन्टरनेशनल स्कूल की दीवार को तोडने को लेकर आमादा फौजदारी हो रहे थे, जिसकी सूचना वादी सौरभ गुप्ता द्वारा थाना पुलिस पिलखुवा को दी

गई। थाना पुलिस ने मौके पर पहुँच कर बिटटू व गोविन्द को गिरफतार कर धारा–151, 107, 116 सी०आर०पी०सी० में चालान कर दिया तथा वादी सौरभ गुप्ता की तहरीर पर प्रतिवादी संख्या 1 रामभूल के विरूद्ध थाना पिलखुवा पर एन०सी०आर० संख्या 20/2024 अं० धारा–427 आई०पी०सी० दर्ज किया गया। वादीगण एक शान्तिप्रिय एवं व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अत्यन्त चतुर चालाक एवं मुठमर्द व्यक्ति है तथा जबरदस्ती वादीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई काननी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को समझाने एवं अपना बेजा फैल कार्य को छोडने की विनती की, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपनी जिद पर अडिग हैं तथा मौका पाते ही वादी की बाउन्ड्री को बिस्मार कर वादीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा कर अपनी पीछे की भूमि में मिलाकर अपनी भूमि का फ्रन्ट मैन रोड पर करने की फिराक हैं। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपने फैल बैजा कार्य में सफल हो जाते है, तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। अतः वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया मिसल पर साबित होने तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में होने का कथन करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की याचना की गयी है।

वादीगण द्वारा **सूची 10 ग** से उद्धरण खतौनी 11 ग, सिजरा की छायाप्रति 12 ग, उपजिलाधिकारी का निर्णय 13 ग, प्रार्थनापत्र 14 ग ता 15 ग, एन.सी.आर. की छायाप्रति 16 ग, सप्लीमेन्ट्री डीड की छायाप्रति 17 ग, आधारकार्ड की छायाप्रति 18 ग व सर्वे प्लान की प्रति 19 ग पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 21 ग के साथ संलग्न सूची 22 ग से बैनामा दिनांकित 22.09.2010 की सत्यप्रतिलिपि 23 ग, बैनामा दिनांकित 25.09.2010 की सत्यप्रतिलिपि 24 ग, बैनामा दिनांकित 19.01.2012 की सत्यप्रतिलिपि 25 ग, बैनामा दिनांकित 22.06.2021 की सत्यप्रतिलिपि 26 ग व बैनामा दिनांकित 22.06.2021 की सत्यप्रतिलिपि 27 ग की गयी है।

इसके विपरीत **प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी आपत्ति 36 ग** मय शपथपत्र 37 ग व **प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपनी आपत्ति 48 ग** मय शपथपत्र 49 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 तथा उसके भाई अब्दुल गफ्फार द्वारा एक किता भूमि स्थित ग्राम हावल, तहसील धौलाना, जिला हापुड खसरा नंबर 443 रकबा 0.1010 हे० बजरिये बैनामा दिनांकित 25–06–2007 द्वारा इसके पूर्व स्वामीगण फतेह मौहम्मद आदि पुत्रगण मोहर्रम अली से क्रय की गयी थी। प्रतिवादी संख्या 2 तथा उसके भाई अब्दुल गफ्फार द्वारा उपरोक्त भूमि क्रय करते समय खसरा नंबर 443 का रास्ता करीब 4 गटठे चौडा मौके पर पिलखुवा धौलाना रोड पर खुलता था, जोकि हमेशा से ही मौके पर मौजूद रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 के भाई अब्दुल गफ्फार द्वारा उक्त खसरा सं. 443 रकबा 0.1010 हे० भूमि में से अपने भाग यानी रकबा 505 वर्गमीटर यानी 0.0505 हे० भूमि, जिसके पूरब में पैट्रोल पम्प भुजा 117 फुट, पश्चिम में प्लाट नाजर अली भुजा 117 फुट, उत्तर में रास्ता 12 फुट चौड़ा व भूमि वादीगण भुजा 46.44 फुट तथा दक्षिण में भूमि दिनेश कौशिक भुजा 46.44 फुट है, का बैनामा प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 13–10–2021 को कर दिया। उपरोक्त प्लाट के उत्तर की भुजा की चौडाई 46.44 फुट है, जिसमें 12 फुट चौड़ा रास्ता सीधे धौलाना–पिलखुवा सम्पर्क मार्ग तक पहुंचता है तथा इसी रास्ते से प्रतिवादी संख्या 1 अपने उपरोक्त प्लाट पर आवागमन करता रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 अपनी भूमि 0.0505 हे० पर काबिज व दखील है तथा उपरोक्त रास्ते से ही प्रतिवादी संख्या 2 भी अपनी भूमि पर आवागमन बादस्तूर करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की उपरोक्त भूमि के उत्तर की तरफ शेष भाग में वादीगण की भूमि है, जिसमें वादीगण जय श्री कृष्णा ट्रस्ट के अन्तर्गत ऐंजल पब्लिक स्कूल का भी संचालन करते चले आ रहे हैं। वादीगण की पैनी नजर शुरूआत से ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की उप.रोक्त भूमि पर रही है तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 2 व उसके भाई अब्दुल गफ्फार सैफी पर भी पूर्व से दबाव बनाते रहे है कि वह अपनी भूमि वादीगण को उनके हिसाब से अत्यधिक कम कीमत पर विक्रय कर दे, जिसके लिये अब्दुल गफ्फार सैफी तैयार नहीं रहा और उसने सही कीमत पर अपने भाग 0.0505 हे० को प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया। वादीगण ने अपनी भूमि खसरा संख्या 440 की आड़ में ग्राम हावल की काफी सरकारी भूमि पर अवैधानिक कब्जा किया हुआ है। वादीगण यह धमकी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को देते हैं

कि वे अपनी भूमि को वादीगण को विक्रय कर दें, अन्यथा शासन व प्रशासन के अधिकारियों से अपनी जानकारी के आधार पर प्रतिवादीगण की भूमि तथा इस पर आवागमन के एकमात्र रास्ते को जबरन अपनी चारदीवारी में शामिल करके उस पर कब्जा कर लेंगे तथा इसके लिये वादीगण लगातार प्रयासरत भी हैं। अपनी इसी दुर्भावना के चलते वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध झूठे तथ्यों पर वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये हैं। वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया मिसल पर साबित नहीं होने तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में न होने का कथन करते हुए प्रार्थनापत्र 6 ग को खण्डित करने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण की आपत्ति एवं लिखित कथन के खण्डन में **वादीगण की ओर से रैपलिका 52 क** मय शपथपत्र 53 ग के साथ **अनेक्जर 1** के रुप में बैनामा दिनांकित 08.5.2001 की प्रतिलिपि 53 ग/2 ता 53 ग/6, **अनेक्जर 2** के रुप में बैनामा दिनांकित 21.6.2006 की प्रतिलिपि 53 ग/7 ता 53 ग/19, **अनेक्जर 3** के रुप में बैनामा दिनांकित 20.2.2002 की प्रतिलिपि 53 ग/20 ता 53 ग/24, **अनेक्जर 4** के रुप में बैनामा दिनांकित 25.06.2007 की प्रतिलिपि 53 ग/25 ता 53 ग/35, **अनेक्जर 5** के रुप में बैनामा दिनांकित 13.10.2021 की प्रतिलिपि 53 ग/36 ता 53 ग/45 दाखिल की गयी हैं।

न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6 ग पर वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री **जावेद आलम अल्वी एडवोकेट** के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधिव्यवस्था **शान्ति कुमार पाण्डा** बनाम **शकुन्तला देवी (2004) 1 एस०सी०सी० 438** में स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम.1 व 2 के अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रथम दृष्टया मामला होने पर सक्षम न्यायालय को अपनी राय बनानी होती है, तत्पश्चात सुविधा का सन्तुलन और अपूर्णनीय क्षति पर सक्षम न्यायालय अपनी राय बनाता है। यह उपरोक्त तीन स्तम्भ हैं, जिन पर अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की नींव टिकी हुई होती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधिव्यवस्था **मण्डली रंगन्ना व अन्य** बनाम **टी० रामचन्द्र एवं अन्य (2008) 11 एस०सी०सी० 1** में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि निषेधाज्ञा देने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, अदालत न केवल उसके सम्बन्ध में बुनियादी तथ्यों को ध्यान में रखेगी, बल्कि उसे पक्षकारों के आचरण को भी ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधिव्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये वादी को अपना **प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन** एवं **अपूर्णनीय क्षति** के बिन्दुओं को साबित करना आवश्यक है और अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पर विचार करते समय, अदालत न केवल उसके सम्बन्ध में बुनियादी तथ्यों को ध्यान में रखेगी, बल्कि उसे पक्षकारों के आचरण को भी ध्यान में रखना चाहिए।

प्रथम दृष्टया केस का तात्पर्य है कि वादी का साक्ष्य द्वारा निर्णीत किये जाने हेतु कोई विवाद विद्यमान हो तथा विवादित संपत्ति पर वादी का प्रथम दृष्टया अधिकार हो।

1. प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया केस के संबंध में **वादीगण द्वारा अपने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6 ग मय समर्थित शपथपत्र 7 ग में कथन किया गया है कि** खसरा संख्या 440 रकबा 0.4930 हे० स्थित ग्राम हावल, तहसील धौलाना, जिला हापुड की पूर्व मालिक काबिज संक्रमणीय भूमिधर **श्रीमती वैशाली देवी** पत्नी अवधेश कुमार निवासी चिरंजीव विहार, गाजियाबाद थी, जिसने दिनांक 22–9–2010 को एक विक्रयपत्र के माध्यम से उक्त भूमि में से रकबा 0.2465 हे० भूमि ब्रजमोहन गोयल, दिनेश सक्सैना, नरेन्द्र कुमार (वादी संख्या 2), अशोक कुमार सिंघल तथा सौरभ गुप्ता (वादी सं0–1) को विक्रय की। इस तथ्य का **प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपनी–अपनी आपत्ति 36 ग व 48 ग** में विनिर्दिष्टतः खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध **बैनामा कागज सं. 23 ग दिनांकित 22.09.2010** से वादीगण के उपरोक्त कथन की पुष्टि हो रही है। इस विक्रयपत्र में विक्रीत भूमि के विवरण में **उक्त विक्रीत कृषि भूमि धौलाना–पिलखुवा लिंक मार्ग पर स्थित** होने का तथ्य अंकित है।

वादीगण द्वारा अपने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग मय समर्थित शपथपत्र 7ग में कथन किया गया है कि दिनांक 25.09.2010 को **श्रीमती वैशाली देवी** पत्नी अवधेश कुमार निवासी चिरंजीव विहार, गाजियाबाद ने दूसरे विक्रयपत्र से रकबा 0.2465 हे0 भूमि जय श्री कृष्णा ट्रस्ट स्थित के.डी.–21 कविनगर, गाजियाबाद द्वारा नरेन्द्र कुमार (वादी सं0–2), अशोक कुमार सिंघल तथा सौरभ गुप्ता (वादी सं0–1) को विक्रय कर दी। इस तथ्य का **प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपनी–अपनी आपत्ति 36ग व 48ग** में विनिर्दिष्टतः खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध **बैनामा कागज सं. 24ग दिनांकित 25.09.2010** से वादीगण के उपरोक्त कथन की पुष्टि हो रही है। इस विक्रयपत्र में विक्रीत भूमि के विवरण में **उक्त विक्रीत कृषि भूमि धौलाना–पिलखुवा लिंक मार्ग पर स्थित** होने का तथ्य अंकित है।

वादीगण द्वारा अपने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग मय समर्थित शपथपत्र 7ग में कथन किया गया है कि गैर फरीक मुकदमा **श्री ब्रजमोहन गोयल** ने अपना हिस्सा 1/10 भाग अर्थात 0.0493 हे० भूमि को अपने सहमालिक–सहकाबिज दिनेश चन्द सक्सैना, नरेन्द्र कुमार, अशोक कुमार सिंघल व सौरभ गुप्ता को दिनांक 19.1.2012 को विक्रय कर दिया। इस तथ्य का **प्रतिवादी सं.1 व 2 द्वारा अपनी–अपनी आपत्ति 36ग व 48ग** में विनिर्दिष्टतः खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध **बैनामा 25ग दिनांकित 19.1.2012** से वादीगण के उपरोक्त कथन की पुष्टि हो रही है। इस विक्रयपत्र में विक्रीत भूमि के विवरण में **उक्त विक्रीत कृषि भूमि धौलाना–पिलखुवा लिंक मार्ग पर स्थित** होने का तथ्य अंकित है।

वादीगण द्वारा अपने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग मय समर्थित शपथपत्र 7ग में कथन किया गया है कि इसके पश्चात **श्री दिनेश चन्द सक्सैना** व **अशोक सिंघल** ने अपना हिस्सा (रकबा 0.12325 हे० भूमि), पूनम कुमार (प्रतिवादी सं०–3) व पवन कुमार (प्रतिवादी सं0–4) को दिनांक 22–6–2021 को विक्रय कर दिया। इस तथ्य का **प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपनी–अपनी आपत्ति 36ग व 48ग** में विनिर्दिष्टतः खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध **बैनामा कागज सं. 26ग दिनांकित 22.06.2021** से वादीगण के उपरोक्त कथन की पुष्टि हो रही है। इस विक्रयपत्र में सड़क की स्थिति में **उत्तर में धौलाना–पिलखुवा लिंक मार्ग पर स्थित** होने का तथ्य अंकित है। अमीन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत **नक्शा अमीन कागज सं. 29ग/2** एवं **वादीगण के नक्शा नजरी 19ग** से भी उक्त तथ्य की पुष्टि हो रही है।

वादीगण द्वारा अपने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग मय समर्थित शपथपत्र 7ग में कथन किया गया है कि उसी दिनांक 22–6–2021 को **सौरभ गुप्ता** (वादी सख्या 1) व **नरेन्द्र कुमार** (वादी सं0–2) ने अपने हिस्से की भूमि रकबा 0.12325 है0 में से रकबा 0.05325 हे० भूमि पूनम कुमार व पवन कुमार को विक्रय कर दी। इस तथ्य का **प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपनी–अपनी आपत्ति 36ग व 48ग** में विनिर्दिष्टतः खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध **बैनामा कागज सं. 27ग दिनांकित 22.06.2021** से वादीगण के उपरोक्त कथन की पुष्टि हो रही है। इस विक्रयपत्र में सड़क की स्थिति में **उत्तर में धौलाना–पिलखुवा लिंक मार्ग पर स्थित** होने का तथ्य अंकित है। अमीन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत **नक्शा अमीन कागज सं. 29ग/2** एवं **वादीगण के नक्शा नजरी 19ग** से भी उक्त तथ्य की पुष्टि हो रही है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादीगण कृषि भूमि खसरा संख्या 440 कुल रकबा 0.4930 हे०, स्थित ग्राम हावल, तहसील धौलाना, जिला हापुड में से रकबा 0.3165 हे० के मालिक व काबिज हैं।

वादीगण द्वारा अपने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग मय समर्थित शपथपत्र 7ग में कथन किया गया है कि वादीगण की भूमि खसरा संख्या 440 स्थित ग्राम हावल तहसील धौलाना जिला हापुड, उपजिलाधिकारी धौलाना के आदेश दिनांकित 14–8–2012 के द्वारा अकृषक घोषित की जा चुकी है, इसलिये उक्त सम्पत्ति पर उ०प्र० राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस तथ्य का **प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपनी–अपनी आपत्ति 36ग व 48ग** में विनिर्दिष्टतः खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध **कागज सं. 13ग** के अवलोकन से विदित है कि **न्यायालय उपजिलाधिकारी, धौलाना–हापुड़** द्वारा **वाद सं. 77/2012, नरेन्द्र कुमार बनाम सरकार, अन्तर्गत धारा 143 यू.पी.जैड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट,** ग्राम हावल, परगना डासना, तहसील धौलाना में पारित **निर्णय आदेश दिनांकित 14.08.2012** द्वारा खसरा सं. 434 रकबा 0.0630 हे० एवं **खसरा सं. 440 रकबा ०.2465 हे० को अकृषक भूमि घोषित** कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध **उद्धरण खतौनी कागज सं. 11ग/6** के अवलोकन से विदित है कि

न्यायालय उपजिलाधिकारी, धौलाना–हापुड़ द्वारा **वाद सं. 77/2012, नरेन्द्र कुमार बनाम सरकार, अन्तर्गत धारा 143 यू.पी.जैड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट,** ग्राम हावल, परगना डासना, तहसील धौलाना में पारित **निर्णय आदेश दिनांकित 14.08.2012** द्वारा खसरा सं. 434 रकबा 0.0630 हे० एवं **खसरा सं. 440 रकबा ०.2465 हे० को अकृषक भूमि घोषित** कर दिया गया। इसी उद्धरण खतौनी में **न्यायालय उपजिलाधिकारी, धौलाना–हापुड़** द्वारा **वाद सं. 59/2012, नरेन्द्र कुमार बनाम सरकार, अन्तर्गत धारा 143 यू.पी.जैड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट,** ग्राम हावल, परगना डासना, तहसील धौलाना में पारित **निर्णय आदेश दिनांकित 06.11.2012** द्वारा खसरा सं. 441 रकबा 0.2910 हे० एवं **खसरा सं. 440 रकबा ०.2465 हे० को अकृषक भूमि घोषित** कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि वादीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 440 कुल रकबा 0.4930 हे०, स्थित ग्राम हावल, तहसील धौलाना, जिला हापुड को उपजिलाधिकारी, धौलाना द्वारा अपने आदेश दिनांकित 14.08.2012 एवं 06.11.2012 द्वारा धारा 143 यू.पी.जैड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध **उद्धरण खतौनी कागज सं. 11ग/6** से उक्त तथ्य की पुष्टि हो रही है।

वादीगण द्वारा अपने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग मय समर्थित शपथपत्र 7ग में कथन किया गया है कि वादीगण की उक्त विवादित भूमि कस्बा पिलखुवा से तहसील धौलाना को जाने वाली रोड पर स्थित है। वादीगण की उक्त विवादित सम्पत्ति पिलखुवा धौलाना रोड पर दोनों तरफ स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा संख्या 443 वादीगण की भूमि खसरा संख्या 440 के दक्षिण दिशा में स्थित है। इस तथ्य का **प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपनी–अपनी आपत्ति 36ग व 48ग** में विनिर्दिष्टतः खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध **भू–राजस्व मानचित्र की प्रति 12ग** एवं **समेकित मूलवाद सं. 222/2024 पर उपलब्ध प्रार्थनापत्र 34ग समर्थित शपथपत्र 35ग के साथ भू–राजस्व मानचित्र की प्रति 35ग/2** के अवलोकन से विदित है कि खसरा सं. 440 का एक बड़ा रकबा है, जो **धौलाना–पिलखुवा लिंक मार्ग के दोनों तरफ स्थित** है। उक्त खसरा सं. 440 के **दक्षिण दिशा में** बायें से दायें क्रमशः खसरा सं. 439, 441, 442, **प्रतिवादी सं.1 व 2 का खसरा सं. 443**, खसरा सं. 444 स्थित हैं। इस प्रकार उक्त **भू–राजस्व मानचित्र की प्रति 12ग** एवं **समेकित मूलवाद सं. 222/2024 पर उपलब्ध प्रार्थनापत्र 34ग समर्थित शपथपत्र 35ग के साथ भू–राजस्व मानचित्र की प्रति 35ग/2** से वादीगण के उक्त कथन की पुष्टि हो रही है। इसके अतिरिक्त अमीन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत **नक्शा अमीन कागज सं. 29ग/2** एवं **वादीगण के नक्शा नजरी 19ग** से भी उक्त तथ्य की पुष्टि हो रही है।

वादीगण द्वारा अपने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6ग मय समर्थित शपथपत्र 7ग में कथन किया गया है कि वादीगण ने बैनामा के बाद से अपनी भूमि पर बाउन्ड्रीवाल कराकर पेट्रोल पम्प की तरफ से दो कमरे बना लिये थे, जो आज भी यथावत बने हुए हैं तथा बाउन्ड्री वॉल हुई है। वादीगण की विवादित सम्पत्ति (खसरा संख्या 440 की रकबा 3165 वर्गमीटर) तथा अन्य भूमियों पर एंजिल इन्टरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग प्ले ग्राउण्ड आदि बना हुआ है। अमीन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत **नक्शा अमीन कागज सं. 29ग/2** एवं **वादीगण के नक्शा नजरी 19ग** से भी उक्त तथ्य की पुष्टि हो रही है।

वादीगण द्वारा शपथपत्र 53ग के साथ **अनेक्जर–1** के रुप में पत्रावली पर उपलब्ध **पंजीकृत बैनामा दिनांकित 08.05.2001 की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज सं. 53ग/2 ता 53ग/6** के अवलोकन से विदित है कि **हाजी खलील** द्वारा खसरा सं. 443 रकबा 0.1010 हे० भूमि स्थित ग्राम हावल, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ को उक्त विक्रयपत्र द्वारा **श्रीमती दिलजहां आदि** को विक्रय किया गया, जिसमें विक्रीत भूमि के विवरण में यह तथ्य अंकित है कि **विक्रीत भूमि सड़क से काफी दूर स्थित** है।

वादीगण द्वारा शपथपत्र 53ग के साथ **अनेक्जर–2** के रुप में पत्रावली पर उपलब्ध **पंजीकृत बैनामा दिनांकित 21.06.2006 की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज सं. 53ग/7 ता 53ग/19** के अवलोकन से विदित है कि **श्रीमती दिलजहां आदि** द्वारा खसरा सं. 443 रकबा 0.1010 हे० भूमि स्थित ग्राम हावल, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ को उक्त विक्रयपत्र द्वारा **फतेह मोहम्मद आदि** को विक्रय किया गया, जिसमें विक्रीत भूमि के विवरण में यह तथ्य अंकित है कि **उक्त भूमि किसी जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है, जो सड़क से 500 मीटर से अधिक दूर है।**

प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपनी–अपनी आपत्ति 36ग व 48ग में कथन किया गया है कि बैनामा दिनांकित 25–06–2007 द्वारा **फतेह मौहम्मद आदि** पुत्रगण मोहर्रम अली से ग्राम हावल, तहसील धौलाना, जिला हापुड स्थित खसरा नंबर 443 रकबा 0.1010 हे० भूमि को **प्रतिवादी संख्या 2** तथा उसके भाई **अब्दुल गफ्फार** ने क्रय किया। प्रतिवादी संख्या 2 तथा उसके भाई अब्दुल गफ्फार द्वारा उपरोक्त भूमि क्रय करते समय खसरा नंबर 443 का रास्ता करीब 4 गटठे चौडा मौके पर पिलखुवा धौलाना रोड पर खुलता था, जोकि हमेशा से ही मौके पर मौजूद रहा है। वादीगण द्वारा शपथपत्र 53ग के साथ **अनेक्जर–4** के रुप में पत्रावली पर उपलब्ध **पंजीकृत बैनामा दिनांकित 25.06.2007 कागज सं. 53ग/25 ता 53ग/35** के अवलोकन से विदित है कि बैनामा दिनांकित 25–06–2007 द्वारा **फतेह मौहम्मद आदि** पुत्रगण मोहर्रम अली से ग्राम हावल, तहसील धौलाना, जिला हापुड स्थित खसरा नंबर 443 रकबा 0.1010 हे० भूमि को **प्रतिवादी संख्या 2 नाजर अली** तथा उसके भाई **अब्दुल गफ्फार** ने क्रय किया, **परन्तु** इसी बैनामा में **विक्रीत भूमि के विवरण** में यह तथ्य अंकित है कि **विक्रीत भूमि रोड पर नहीं है। विक्रीत भूमि के आस–पास कोई लिंक रोड आदि भी नहीं है।** इस प्रकार **4गटठा चौड़ा मौके पर पिलखुवा धौलाना रोड पर रास्ता खुलने** के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के उपरोक्त कथन में प्रथम दृष्टया कोई विधिक बल प्रकट नहीं है।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपनी–अपनी आपत्ति 36ग व 48ग में कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 के भाई **अब्दुल गफ्फार** द्वारा उक्त खसरा सं. 443 रकबा 0.1010 हे० भूमि में से अपने भाग यानी रकबा 505 वर्गमीटर यानी 0.0505 हे० भूमि, जिसके **पूरब में** पैट्रोल पम्प भुजा 117 फुट, **पश्चिम में** प्लाट नाजर अली भुजा 117 फुट, **उत्तर में** रास्ता 12 फुट चौड़ा व भूमि वादीगण भुजा 46.44 फुट तथा **दक्षिण में** भूमि दिनेश कौशिक भुजा 46.44 फुट है, का बैनामा **प्रतिवादी संख्या 1 रामभूल** को दिनांक 13–10–2021 को कर दिया, जिसमें 12 फुट चौड़ा रास्ता सीधे धौलाना–पिलखुवा सम्पर्क मार्ग तक पहुंचता है तथा इसी रास्ते से प्रतिवादी संख्या 1 रामभूल अपने उपरोक्त प्लाट पर आवागमन करता रहा है। अब्दुल गफ्फार द्वारा उक्त बैनामा में विक्रीत भूमि के **उत्तर में 12 फीट चौड़ा रास्ता** लिखवा दिया गया है, **परन्तु** उक्त विक्रेता अब्दुल गफ्फार एवं उसके भाई प्रतिवादी सं. 2 नाजर अली द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांकित 25.06.2007 कागज सं. 53ग/25 ता 53ग/35 में विक्रीत सम्पत्ति के विवरण में उत्तर में 12 फीट चौड़ा रास्ता अंकित नहीं है। विक्रेता के उक्त बैनामा दिनांकित 25.06.2007 में **विक्रीत भूमि के विवरण** में यह तथ्य अंकित है कि **विक्रीत भूमि रोड पर नहीं है। विक्रीत भूमि के आस–पास कोई लिंक रोड आदि भी नहीं है।** प्रतिवादी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा सं. 443 रकबा 0.1010 हे० के पूर्ववर्ती **बैनामा दिनांकित 08.05.2001 की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज सं. 53ग/2 ता 53ग/6, बैनामा दिनांकित 21.06.2006 की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज सं. 53ग/7 ता 53ग/19** एवं **बैनामा दिनांकित 25.06.2007 कागज सं. 53ग/25 ता 53ग/35** उक्त सभी बैनामों में विक्रीत भूमि के विवरण में क्रमशः यह तथ्य अंकित है कि **विक्रीत भूमि सड़क से काफी दूर स्थित है। भूमि किसी जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है, जो सड़क से 500 मीटर से अधिक दूर है। विक्रीत भूमि रोड पर नहीं है। विक्रीत भूमि के आस–पास कोई लिंक रोड आदि भी नहीं है।** जब उक्त विक्रीत भूमि रोड़ पर नहीं है, विक्रीत भूमि के आस–पास कोई लिंक रोड़ आदि भी नहीं है, तो विक्रेता **अब्दुल गफ्फार/प्रतिवादी सं. 2 नाजर अली के भाई** द्वारा **प्रतिवादी सं. 1 रामभूल** के पक्ष में निष्पादित कराये गये उक्त बैनामा में **उत्तर में 12 फीट चौड़ा रास्ता** लिख देने मात्र से उक्त तथ्य को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा ऐसा कोई प्रलेखीय साक्ष्य या राजस्व अभिलेख दाखिल नहीं किया गया है, जिसमें विधिनुसार उक्त रास्ता कायम किया गया हो। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 के उपरोक्त कथन में प्रथम दृष्टया कोई विधिक बल प्रकट नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह न्यायालय इस निष्कर्षित मत का है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य मुख्य विवाद इस तथ्य के संबंध में है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा सं. 443 रकबा 0.1010 हे० के **उत्तर में 12 फीट चौड़ा रास्ता है अथवा नहीं।** उक्त

तथ्य का उभयपक्षों का विस्तृत साक्ष्य आने के पश्चात् ही साक्ष्य के आधार पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत होगा। वर्तमान वाद में यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि खसरा सं. 440 रकबा 0.3165 हे० स्थित ग्राम हावल, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ के वादीगण पंजीकृत विक्रयपत्रों के आधार पर मालिक काबिज हैं, जिसे न्यायालय उपजिलाधिकारी, धौलाना द्वारा अकृषक भूमि घोषित किया जा चुका है और उक्त सम्पत्ति पर एंजिल इण्टरनेशनल स्कूल संचालित करते हुए वादीगण मालिक काबिज हैं। वादीगण की उक्त खसरा सं. 440 के उत्तर में धौलाना–पिलखुवा लिंक मार्ग स्थित है तथा वादीगण के खसरा सं. 440 के दक्षिण में प्रतिवादी सं. 1 व 2 की खसरा सं. 443 रकबा 0.1010 हे० भूमि स्थित है। वर्तमान में प्रतिवादीगण की उक्त भूमि के उत्तर में वादीगण की भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में अपना दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे हैं। वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरदस्ती लाठी डण्डों एवं मुठमर्दी के आधार पर वादीगण की भूमि खसरा संख्या 440 पर अपना नाजायज कब्जा करके अपनी भूमि खसरा संख्या 443 से सामने मैन रोड तक रास्ता कायम करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी का साक्ष्य द्वारा निर्णीत किये जाने हेतु विवाद विद्यमान है तथा विवादित संपत्ति पर वादी का प्रथम दृष्टया अधिकार है।

2. सुविधा का संतुलन

व्यादेश के अनुतोष के लिए यह भी आवश्यक है कि वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन हो। **दलपत कुमार एवं अन्य बनाम प्रहलाद सिंह एवं अन्य, 1992 आर०डी० 210** के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **"सुविधा का संतुलन से तात्पर्य यह है कि यदि वादी को व्यादेश का अनुतोष नहीं दिया जाता है तो वादी को होने वाली सारवान क्षति, यदि वादी को अनुतोष दिया जाता है, तो प्रतिवादी को होने वाली क्षति से अधिक होगी।"**

वर्तमान वाद में वादीगण विवादित संपत्ति के संबंध में अपना प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि वादीगण को व्यादेश का अनुतोष नहीं दिया जाता है, तो वादीगण को सारवान या अपूर्णनीय क्षति होगी। वादीगण को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति धनीय अनुतोष से नहीं करायी जा सकती है, जिससे वह संभावित क्षति से अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है।

3. अपूर्णीय क्षति

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **दलपत कुमार एवं अन्य बनाम प्रहलाद (सुप्रा)** में यह भी अभिनिर्धारित किया है कि **"न्यायालय को यह भी समाधान कर लेना चाहिए कि यदि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो उस व्यक्ति को जिसके द्वारा अनुतोष चाहा गया है, को अपूर्णीय क्षति कारित होगी तथा उस व्यक्ति को व्यादेश के अलावा कोई अन्य अनुतोष उपलब्ध नहीं है, जिसके द्वारा वह संभावित क्षति से अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य ऐसी क्षति से है, जो सारवान क्षति हो तथा जिसकी प्रतिपूर्ति धनीय अनुतोष से नहीं करायी जा सकती।"**

वर्तमान वाद में विवादित संपत्ति के संबंध में वादीगण अपना प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। यदि वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया जाता है, और प्रतिवादी सं. 1 व 2 जबरदस्ती अवैध रुप से वादीगण की उक्त भूमि पर दौराने वाद नाजायज कब्जा करके रास्ता कायम करने में सफल हो गये, तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति धनीय अनुतोष से नहीं करायी जा सकती है, जिससे वह संभावित क्षति से अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं और वादीगण का वाद दाखिल करने का उद्देश्य विफल हो जायेगा। इस प्रकार वादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं देने से उन्हें अपूर्णनीय क्षति होगी। तद्नुसार वादीगण अपूर्णनीय क्षति को भी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के विश्लेषण से यह न्यायालय प्रथम दृष्टया इस निष्कर्षित मत का है कि वादीगण का वादग्रस्त संपत्ति पर प्रथम दृष्टया मामला साबित हैं, सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है, तथा वादीगण अपूर्णनीय क्षति को भी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वादीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तीनों बिन्दुओं को साबित करने में सफल रहे हैं। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग अंन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण सौरभ गुप्ता आदि की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग अंन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं.1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाता है कि वह दौराने वाद वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा सं. 440 रकबा 0.3165 हे० स्थित ग्राम हावल, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ पर वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल, उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप ना करें।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उभयपक्षों के अभिवचन पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अतः पत्रावली वादबिन्दुओं के विरचन हेतु नियत की जाती है।

पत्रावली वास्ते **विरचन वादबिन्दु** दिनांक **30.05.2026** को पेश हो।

(असगर अली–प्रथम)
सिविल जज (सी०डि०), द्वितीय
हापुड़।
आई.डी. संख्या.यू.पी. 2121